कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0/युगलपीठ/1162/2025 दि0 लखनऊः अगस्त 21, 2025

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशांक 1070/2025 दिनांक 24–07–2025 के द्वारा माह सितम्बर, 2025 में **जनपद अयोध्या** में युगलपीठ का गठन **दिनांक 15–09–2025 से 18–09–2025 एवं जनपद गोरखपुर में 29–09–2025 से 30–09–2025** तक किया गया था । उपरोक्त दोनों युगलपीठों में विभागीय सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2 प्रयागराज को नामित किया गया था।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2, प्रयागराज के पत्र संख्या–173 दिनांक 12–08–2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि वह अपरिहार्य कारणों से वह उपरोक्त गठित युगलपीठों में भाग लेने में असमर्थ हैं।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 1070/2025 दिनांक 24–07–2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, **जनपद–अयोध्या** में **दिनांक 15–09–2025 से 18–09–2025** तक गठित युगलपीठ, **तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है** एवं **जनपद गोरखपुर** में गठित युगल पीठ **दिनांक 29–09–2025 से 30–09–2025 में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2, प्रयागराज** के स्थान पर **सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2, लखनऊ** को नामित किया जाता है । उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-21.08.2025
(रमेश चन्द–1)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/1162/2025 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, अयोध्या पीठ, अयोध्या।
2– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, गोरखपुर पीठ, गोरखपुर ।
2– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2, प्रयागराज।
3– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2, लखनऊ।
4– वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ ।
5– प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेव अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।